FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पार्वती कंवर वगै0 बनाम् गजेन्द्र सिंह वगै0

किस्म मुकदमाः— दावा

मुकदमा नम्बरः— 29 /2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
2018	वादीगण वकील श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें। प्रतिवादी नम्बर 11 व 12 के क्षैत्राधिकार से बाहर होने से इनकी तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक मय एडी से करवाई जावें। वास्ते देखने तामील पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को पेश हो। Sd/-	
6-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के क्रमांक प.12 (15) राज-1/2018 दिनांक ... श्रीमान जिला कलक्टर ... को पालना एवं ... पालना में पत्रावली पूर्व ... प्रदत्त दिशा निर्देशों की आज पेश हुई। उक्त दिशा ... 19-6-18 को तलब हाक ... सुनवाई हेतु रखी जानी है ... लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र — महरोली — में दिनांक -19-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Sd/-	गजेन्द्र सिंह रघुनाथ माधो सिंह
2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– महरोली के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। पक्षकारान् में समस्त वादीगण उपस्थित आये। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी नम्बर 16 की ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1384, 1624, 2372, 2373, 2374, 2375, 2397, 3289 कुल किता 8 कुल रकबा 4.73 हैक्टर तथा भूमि खसरा नम्बर 1966, 1967, 2403, 2404 कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 2443, 2444, 2460, Sd/-	नि. उमेद कंवर नि. आशा कंवर भंवर सिंह जोरावर सिंह राजेन्द्र सिंह RTG पार्वती कंवर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर जो ... में जा...

पार्वती कँवर वगै0 बनाम् गजेन्द्र सिंह वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
एंव स्थाई निषेधाज्ञा
वाद मुकदमा नं0– 29/2018

2461, 2462, 2463 कुल किता 6 कुल रकबा 2.08 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली में स्थित है। उक्त कृषि भूमियॉ पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की पैत्रक कृषि भूमियॉ है। जिनका बाहमी बंटवारा पक्षकारान् के बुजुर्गो ने उनके कब्जा काश्त अनुसार अर्सा 35 वर्ष पूर्व कर लिया था व उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार व कुटुम्ब के सदस्य है। वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादीगण के पिताओं ने उक्त भूमियों का वैधानिक बंटवारा करवाने हेतु पूर्व में एक वाद उनवानी सवाई सिंह बनाम् उम्मेदसिंह वगैरहा मुकदमा नम्बर 471/1997 न्यायालय तत्कालीन सहायक जिलाधीश श्रीमाधोपुर में प्रस्तुत किया व उक्त दावा बरूये राजीनामा दिनांक 30.08.1997 को डिक्री होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया गया किन्तु उक्त डिक्री में न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को डिक्री का भाग सहवन से नहीं लिखे जाने के कारण उक्त दावा में भूमि खसरा नम्बर 3289 के स्थान पर खसरा नम्बर 2389 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया गया। जबकि खसरा नम्बर 2389 की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम कभी नहीं रही है। उक्त दावा की डिक्री के बाद हुये राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती का ज्ञान वादीगण को कभी नहीं रहा व विरासत का नामान्तरण हो जाने के बाद वादीगण ने अपने–अपने हिस्से पर साख सीमा बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर बाहमी बंटवारे व न्यायालय में हुये राजीनामा में भूमि खसरा नम्बर 3289 रकबा 0.93 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि पति/पिता वादीगण के अकेले के हिस्से में दी गयी थी उक्त खसरा नम्बर का राजस्व रिकार्ड ज्यों का त्यों रहने का पता चला। उक्त दावा का वादी सवाईसिंह फौत हो गया तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता किशनसिंह फौत हो जाने से तथा अन्य प्रतिवादी सुप्यार कंवर के फौत हो जाने से तथा प्रतिवादी उम्मेदसिंह के फौत हो जाने से उक्त दावा के निर्णय व डिक्री में संशोधन नहीं हो सकता एंव ना ही अपील हो सकती है। उक्त कानूनी समस्याओं को देखते हुए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त दुरूस्ती हेतु निवेदन किया

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पार्वती कॅवर वगै0 बनाम् गजेन्द्र सिंह वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
एंव स्थाई निषेधाज्ञा
वाद मुकदमा नं0– 29/2018

तो खातेदार सायरसिहं व मृत्तक खातेदार उम्मेदसिंह व मृत्तक खातेदार सवाईसिंह ने उक्त दुरूस्ती हेतु आश्वासन देते रहे एंव दिनांक 20.04.2018 को उक्त दुरूस्ती करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गयें। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक होने पर लाजिम आया है। उक्त गलत चल रहे राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण ने वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 3289 रकबा 0.93 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली से बेदखल कर दिया या स्वंय कब्जा कर लिया या दीगर को बैचान कर दिया तो वादीगण अपनी पैत्रृक भूमि से महरूम हो जावेगें। इस कारण वादीगण ने वादपत्र पेश कर उद्घोषणा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।

वादपत्र में दर्ज समस्त पक्षकारान् एक ही कुटुम्ब परिवार से होना वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त भूमियॉ पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व मौरूसी भूमियॉ है तथा उक्त भूमियों को पक्षकारान् ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिस बाबत पूर्व में वादपत्र उनवानी सवाई सिंह बनाम् उम्मेदसिंह वगैरहा मुकदमा नम्बर 471/1997 न्यायालय तत्कालीन सहायक जिलाधीश श्रीमाधोपुर में प्रस्तुत किया व उक्त दावा बरूये राजीनामा दिनांक 30.08.1997 को डिक्री होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया गया किन्तु उक्त डिक्री में न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को डिक्री का भाग सहवन से नहीं लिखे जाने के कारण उक्त दावा में भूमि खसरा नम्बर 3289 के स्थान पर खसरा नम्बर 2389 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया गया। जबकि खसरा नम्बर 2389 की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम कभी नहीं रही है। उक्त खसरा नम्बर 3289 रकबा 0.93 हैक्टर की खातेदारी वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान् प्रतिवादीगण के द्वारा इकबाली जवाब दावा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही एवं लघुहस्ताक्षर जज

~~पार्वती कँवर वगै0 बनाम् गजेन्द्र सिंह वगै0~~
दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
एंव स्थाई निषेधाज्ञा
वाद मुकदमा नं0– 29/2018

भी पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है। जिससे समस्त प्रतिवादीगण पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सहमती व्यक्त किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किये जाने का निवेदन प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है।

प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर देने से एंव पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही न्याय हित में लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3289 रकबा 0.93 हैक्टर सम्पूर्ण का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार मृत्तक सायरसिंह, सवाईसिंह व प्रतिवादी नम्बर 12 श्रवणसिंह व मृत्तक खातेदार उम्मेदसिंह व खातेदार मृत्तका भंवरकंवर व भंवरसिंह का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। वादीगण अपने पूर्वजों के समय हुये बाहमी बटंवारा के अनुसार व न्यायालय में प्रस्तुत दावा उनवानी सवाईसिंह बनाम् उम्मेदसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 471/1997 में प्रस्तुत राजीनामा की पालना में उक्त उद्घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग – उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पार्वती कँवर वगै0 बनाम् गजेन्द्र सिंह वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
एंव स्थाई निषेधाज्ञा
वाद मुकदमा नं0– 29/2018

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र–महरोली के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–महरोली

Scanned by CamScanner